कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 53/सी/क्रय–सुर0/2009–10 लखनऊ : दिनांक नबम्बर 05 ,2009

आदेश

उ0प्र0राज्य चीनी निगम लि0इकाई अमरोहा जनपद जे0पी0नगर परिक्षेत्र–मुरादाबाद की पेराई सत्र 2009–10 हेतु प्रस्तुत मॉग पर कार्यालय ज्ञाप संख्या संख्या–1244/सी/क्रय/ग0आ0/ 2009–10 दिनांक 16.09.2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त, विज्ञप्ति संख्या– 1245/सी/क्रय/ग0आ0/09–10 दिनांक 16.9.2009 द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–12 (2) के अन्तर्गत गन्ने की आवश्यकता का अनुमान **33.32 लाख कुन्तल** विज्ञापित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्प ट उल्लेख किया गया है कि '' आवश्यकता का निर्धारण उ0प्र0गन्ना(पूर्ति एवं खरीद विनियमन)अधिनियम–1953 की धारा–15 अन्तर्गत उद्देश्य की पूर्ति हेतु चीनी मिल क्षेत्रवार हुए गन्ना उत्पादन/उपलब्धता से आच्छादित रहेगा।''

गत वर्ष **उ0प्र0राज्य चीनी निगम लि0इकाई अमरोहा जनपद जे0पी0नगर** ने दिनांक 21.11.2008 को पेराई प्रारम्भ कर दिनांक 29.01.2009 को पेराई सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने 70 कार्य दिवसों में अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध **66.00 ला0कु0 गन्ना उत्पादन** में से लगभग **14 प्रतिशत ड्राल** करते हुए **9.16 ला0कु0** गन्ने की पेराई की।

कृ ाकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की अधिक से अधिक खपत, चीनी उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि चीनी मिलें अपने आवंटित क्षेत्र से अधिकतम गन्ने की खरीद/पेराई करें एवं ऐसी प्रबन्धकीय एवं तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, जिससे गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे।

उत्तर प्रदेश गन्ना(पूर्ति एवं खरीद विनियमन)अधिनियम–1953 की धारा–15 के प्राविधानों के अनुपालन में दिनांक 15.9.2009 को गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में मुरादाबाद परिक्षेत्र की सहकारी गन्ना विकास समितियों,गन्ना कृ ाकों एवं चीनी मिलों का पक्ष पेराई सत्र 2009–10 में गन्ना क्षेत्र आवंटन एंव गन्ना आपूर्ति के संबंध में सुनवाई की गई।

विगत व र्षों में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब तथा गन्ना विकास कार्यो में अरूचि के कारण गत व र्ष के सापेक्ष इस व र्ष गन्ना क्षेत्रफल में गिरावट आई है। इस चीनी मिल की गत व र्ष सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में **3.15 प्रतिशत** कमी होना सम्भावित है।

चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा,गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति,गन्ना समितियों/कृ षकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव, गत व र्ष ऑवटित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल तथा क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारकों पर विचार किया गया। चीनी मिल क्षेत्र में **गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता** को देखते हुए इस चीनी मिल को अधिकतम **61.47 ला0कु0** गन्ना उत्पादन का आंवटन किया जा सकता है।

इस चीनी मिल के **जनपद जे0पी0नगर** में गन्ने की औसत उपज **556.04 कुन्तल प्रति हेक्टेयर** है,जो कि पेराई सत्र 2008–09 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराये गये क्राप कटिंग के परिणामों पर आधारित है तथा सभी संबंधित को इस कार्यालय के पत्र संख्या–950/सी/क्रय/ ग0आ0 दिनांक 12–6–2009 द्वारा संसूचित की गई है,जिसके आधार पर **61.47 ला0कु0** गन्ना उत्पादन की प्रतिपूर्ति कुल **11054 हेक्टेयर** गन्ना क्षेत्रफल से होना संभावित है।

अतः सम्बन्धित चीनी मिलों,गन्ना समितियों/गन्ना कृ षकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पक्ष सुनने,चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं को दृ ष्टिगत रखते हुए मैं, **सुधीर एम. बोबडे**, **गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश,** उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15,उ0प्र0 गन्ना(पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली–1954 के नियम–22 एवं शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर–1966 की उप धारा–6 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुये संलग्न तालिका के खण्ड–1(क) में अंकित क्रय केन्द्रों को गन्ना पूर्ति हेतु पेराई सत्र 2009–10 के लिये **उ0प्र0राज्य चीनी निगम लि0इकाई अमरोहा जनपद जे0पी0नगर** को सुरक्षित करता हूॅ तथा खण्ड–2 में इंगित क्रयकेन्द्रों को उनके नाम के सम्मुख अंकित निकटवर्ती चीनी मिल असमौली, स्योहारा, धनौरा, धामपुर चन्दनपुर तथा अगवानपुर को अभ्यर्पित करता हूॅ तथा आवंटी चीनी मिलों के अध्यासियों को आदेशित करता हूॅ कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर संबंधित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना(पूर्ति एवं खरीद विनियमन) आदेश–1954 के उपबन्ध–3(3) एवं 4(1) में निर्धारित

प्रारूप–स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त क्रयकेन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देशित करता हूॅ कि गन्ना पेराई सत्र समापन के लिए अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण पत्र सम्बन्धित सहकारी विकास गन्ना समितियों,जिला गन्ना अधिकारियों, तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त कर इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराई सत्र का समापन करें।

उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009–10 के लिए जारी किये जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेगें,जब तक की इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किए जाये।

(सुधीर एम. बोबडे)
गन्ना आयुक्त,उत्तर प्रदेश

टिप्पणी

1. इस व ि जिन नये क्रयकेन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्रयकेन्द्रों के स्थान का चयन सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा तथा क्रयकेन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची भी बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेगें । जिला गन्ना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि एक कृ ाक के गन्ने की आपूर्ति एक क्रयकेन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित कराई जाय, एक से अधिक क्रयकेन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाय ।
2. चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्रयकेन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम से दूसरे

स्थान पर लगाने तथा कुछ क्रयकेन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के पूर्ववर्ती क्रयकेन्द्रों से हटाकर दूसरे क्रयकेन्द्रों पर सम्बद्ध किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए/होते हैं । ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर जिला गन्ना अधिकारी, सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति की राय प्राप्त कर अपनी संस्तुति इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रे ित करेगें ।

3. यदि पेराई सत्र 2009—10 में चीनी मिल द्वारा सन्तो ाजनक मात्रा में पेराई न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा, जिसे क्रयकेन्द्र मूलरूप में आवंटित हुआ था ।

4. गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश—1954 के उपबन्ध—3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप—स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेगीं उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

5. चीनी मिलों द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम—1953 की धारा—17 एवं 18 तथा उ0प्र0 शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर—1966 के खण्ड—3 (3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर चीनी मिलों को आवंटित गन्ना क्षेत्र को व्यावर्तित करने पर विचार किया जायेगा ।

(सुधीर एम. बोबडे)

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 53 / सी / कय–सुर0 / 2009–10 लखनऊ : दिनांक नबम्बर 05 ,2009

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेि ात :–

1. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश ाासन, बापू भवन, लखनऊ ।
2. सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रेि ात कि वह उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली–1954 के नियम–23 के अनुसार उक्त आदेशों को प्रकाशित कराने का क ट करें ।
3. निदेशक, बांट एवं माप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त / उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेि ात कि उक्त आदेश सर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से प्रेि ात करने का क ट करें ।
5. सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त ।
6. सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेि ात कि वे कयकेन्द्रों के चलने की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के 15 दिनों के अन्तर्गत अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायें ।
7. सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेि ात कि वे कयकेन्द्रों के चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखेगें तथा यथा निर्दि ट समय के अन्तर्गत कयकेन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरूद्ध समुचित कार्यवाही कराते हुए, अनुपालन की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।
8. सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियां ।
9. अध्यासी / प्रधान प्रबन्धक, सम्बन्धित चीनी मिलें ।

(डा0 कृपाल सिंह)
उप गन्ना आयुक्त (कय)

कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर
प्रदेश ।

पत्रांक /सी/क्रय/सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर ,2009(सलंग्नक–1)

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0इकाई अमरोहा जनपद–जे0पी0नगर,परिक्षेत्र–मुरादाबाद।

खण्ड–1(क)

क्र0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमरोहा	मिलव्दार	0	5708	31.74	सुरक्षित	
2		सरकड़ी अजीज		0	0.00	सुरक्षित	
3		हासमपुर		0	0.00	सुरक्षित	
4		खाता	8	182	1.01	सुरक्षित	
5		रायपुर पट्‌टी–प्रथम	11		0.00	सुरक्षित	
6		रायपुर पट्‌टी–द्वितीय	11	224	1.25	सुरक्षित	
7		हुसैनपुर	10	298	1.66	सुरक्षित	
8		वान–प्रथम	10	402	2.24	सुरक्षित	
9		रधुनाथपुर	8	182	1.01	सुरक्षित	
10		इब्राहिमपुर	10	125	0.70	सुरक्षित	
11		अदलपुर ताज	10	299	1.66	सुरक्षित	
12		ढेलानंगला	10	135	0.75	सुरक्षित	
13		कालाखेड़ा–प्रथम	12	336	1.87	सुरक्षित	
14		बुडेरना	18	98	0.54	सुरक्षित	
15		शेखपुर गुर्जर	17	121	0.67	सुरक्षित	
16		डयोढ़ी उर्फ हादीपुर	18	150	0.83	सुरक्षित	
17		मझौला खुर्द	21	170	0.95	सुरक्षित	

18		नगलिया	19	469	2.61	सुरक्षित	
19		रामहट	10	159	0.88	सुरक्षित	
20		तख्तपुर	12	269	1.50	सुरक्षित	
21		नसीर नंगला	15	202	1.12	सुरक्षित	
22		बादशाहपुर	12	110	0.61	सुरक्षित	
		योग सुरक्षित		**9639**	**53.60**		

पत्रांक /सी/क्रय/सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर ,2009(सलंग्नक–2)

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0इकाई अमरोहा जनपद–जे0पी0नगर,परिक्षेत्र–मुरादाबाद।

खण्ड–1(क)

क्र0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि.मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
23	अमरोहा	नौगावा	43	141	0.78	सुरक्षित	
24		नौगांवा तगा/बांसखेड़ी	42	163	0.91	सुरक्षित	
25		बरखेड़ा सादात	12	307	1.71	सुरक्षित	
26		रामपुर जुनारदार	11	245	1.35	सुरक्षित	
27		सुल्तानपुर	10	198	1.12	सुरक्षित	
28		हादरपुर	10	361	2.01	सुरक्षित	
		योग		**1415**	**7.87**		
		कुल योग		**11054**	**61.47**		

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0इकाई अमरोहा जनपद–जे0पी0नगर,परिक्षेत्र–मुरादाबाद।

खण्ड–2

क्र0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की	गन्ना क्षेत्रफल	गन्ना उत्पादन	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति

			दूरी(कि. मी.)	(हे0)	(ला0कुं0)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमरोहा	बिचपुरी	8	222	1.23	अभ्यर्पित	असमौली चीनी मिल को
2		नन्हेड़ा–प्रथम	28	187	1.04	अभ्यर्पित	,,
3		जलीलपुर वक्काल	30	95	0.53	अभ्यर्पित	,,
4		नन्हेड़ा–व्दितीय	28	193	1.07	अभ्यर्पित	,,
5		नन्हेड़ा–तृतीय	28	141	0.78	अभ्यर्पित	,,
		योग		**838**	**4.66**		

पत्रांक /सी/क्रय/सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर ,2009(सलंग्नक–3)

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0इकाई अमरोहा जनपद–जे0पी0नगर,परिक्षेत्र–मुरादाबाद।

खण्ड–2

क्र0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
6	अमरोहा	भटपुरा सकैनिया	27	66	0.37	अभ्यर्पित	असमौली चीनी मिल को
7		चक्कालीलेट–प्रथम	25	213	1.18	अभ्यर्पित	,,
8		चक्कालीलेट–व्दितीय	25	138	0.77	अभ्यर्पित	,,
9		मनकुआ	31	146	0.81	अभ्यर्पित	,,
10		अतरासी–प्रथम	19	150	0.83	अभ्यर्पित	,,
11		अतरासी–द्वितीय	20	115	0.64	अभ्यर्पित	,,
12		कैलसा–व्दितीय	21	142	0.79	अभ्यर्पित	,,
13		कालाखेड़ा–व्दितीय	15	82	0.46	अभ्यर्पित	,,
14		कैलसा–प्रथम	21	223	1.24	अभ्यर्पित	,,

15		डिडौली–प्रथम	20	170	0.95	अभ्यर्पित	,,
16		डिडौली–द्वितीय	19	143	0.80	अभ्यर्पित	,,
17		मिलक कटाई	28	209	1.16	अभ्यर्पित	,,
18		चकबारसपुर	26	129	0.72	अभ्यर्पित	,,
19		हसनपुर कटिया	20	102	0.57	अभ्यर्पित	,,
20		लोदीपुर बंजारा	25	92	0.51	अभ्यर्पित	,,
21		पृथ्वीपुर	21	87	0.48	अभ्यर्पित	,,
22	मुरादाबाद	पायंती कला	25	68	0.37	अभ्यर्पित	,,
23	अमरोहा	शाहपुर–प्रथम	32	213	1.18	अभ्यर्पित	,,
24		शाहपुर–द्वितीय	31	44	0.24	अभ्यर्पित	,,
25		वान–व्दितीय	16	116	0.65	अभ्यर्पित	स्योहारा चीनी मिल को
24		चकछावी	15	88	0.49	अभ्यर्पित	,,
25		मुनब्बरपुर	17	213	1.18	अभ्यर्पित	,,
		योग		**2949**	**16.39**		

पत्रांक /सी/क्रय/सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर ,2009(सलंग्नक–4)

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0इकाई अमरोहा जनपद–जे0पी0नगर,परिक्षेत्र–मुरादाबाद।

खण्ड–2

क्र0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
26	अमरोहा	अरविन्दनगर–प्रथम	23	79	0.44	अभ्यर्पित	स्योहारा चीनी मिल को
27		अरविन्दनगर–व्दितीय	19	89	0.49	अभ्यर्पित	,,
28		आबीहफीजपुर	11	95	0.53	अभ्यर्पित	,,
29		ईस्पा / इस्माईलपुर–प्रथम	48	219	1.22	अभ्यर्पित	,,
30		सुनपुरा	43	97	0.54	अभ्यर्पित	,,
31		खेड़ा अपरौला	26	267	1.48	अभ्यर्पित	,,

32		गजाना–प्रथम	41	138	0.77	अभ्यर्पित	,,
33		कासमपुरमेव	29	150	0.83	अभ्यर्पित	,,
34		पोटा	37	190	1.06	अभ्यर्पित	,,
35		अलीपुराकुई–प्रथम	28	98	0.54	अभ्यर्पित	,,
36		अलीपुराकुई–व्दितीय	27	96	0.53	अभ्यर्पित	,,
37		बीबड़ा कला–प्रथम	45	189	1.05	अभ्यर्पित	,,
38		बीबड़ा कला–व्दितीय	46		0.00	अभ्यर्पित	,,
39		बीलना एट नयागांव	44	119	0.66	अभ्यर्पित	,,
40		बीलना –द्वितीय	44	79	0.44	अभ्यर्पित	,,
41		रामनगर	44	147	0.82	अभ्यर्पित	,,
42		गजाना–व्दितीय	24	161	0.90	अभ्यर्पित	,,
43		सुल्तानपुर कला	27	108	0.60	अभ्यर्पित	,,
44		ईस्पा / इस्माईलपुर–व्दितीय	48	0	0.00	अभ्यर्पित	धनौरा चीनी मिल को
45		खेड़का	11	268	1.49	अभ्यर्पित	,,
46		मधुवामाफी	10	172	0.96	अभ्यर्पित	,,
47		हफीजपुर	12	77	0.43	अभ्यर्पित	,,
		योग		**2838**	**15.78**		

पत्रांक /सी/क्रय/सुर0/2009–10 दिनांक लखनऊ नवम्बर ,2009(सलंग्नक–5)

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0इकाई अमरोहा जनपद–जे0पी0नगर,परिक्षेत्र–मुरादाबाद।

खण्ड–2

क्र0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कुं0)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
48	अमरोहा	कमालपुर–प्रथम	44	93	0.52	अभ्यर्पित	धामपुर चीनी मिल को
49		कमालपुर–द्वितीय	45	76	0.42	अभ्यर्पित	,,
50		चकमजदीपुर	16	92	0.51	अभ्यर्पित	चन्दनपुर चीनी मिल को

51		हाकमपुर	17	80	0.44	अभ्यर्पित	,,
52		हैबतपुर	12	64	0.36	अभ्यर्पित	,,
53		बहलोलपुर	82	83	0.46	अभ्यर्पित	अगवानपुर चीनी मिल को
54		यूसुफपुर	19	243	1.35	अभ्यर्पित	धामपुर चीनी मिल को
55		अमनीपुर	15	49	0.27	अभ्यर्पित	,,
56		सिरसाजट	17	150	0.83	अभ्यर्पित	,,
		योग		**930**	**5.17**		
		कुल योग		**7555**	**42.00**		